

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

अज अदालत... राजस्व अपील प्रा० मुकाम... अलवर
 किस्म मुकदमा... शिम्भू बनाम... उदभी
 223 RA Act नं... सन् 39/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

16.10.19

पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेड दर्ज की जावे।

पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर के कोर्ट कैम्प गून्दपुर के निर्णय दिनांक 27.06.2018 के विरुद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है।

अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा निर्णय पारित किया है और ना ही पुराने राजस्व रिकॉर्ड पर गौर किया है। साथ ही वादीगण ने झूठाहारक दुरुस्ती इन्द्राज पेश किया परन्तु तहत अदालत ने केवल एडवर्स पजेसन का वाद ही माना।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है-

(1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी।

(2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि विवादित आराजी खसरा नंबर 232 रकबा 25 ऐयर, 330 रकबा 39 ऐयर, 331 रकबा 2 ऐयर, गैरमुमकिन चाह 332 रकबा 3 ऐयर, 339 रकबा 41 ऐयर, 340 रकबा 19 ऐयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील व जिला अलवर के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखी जावे। प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नहीं किया जाकर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः उक्त अपील को तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

32